प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवम् विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 05 जनवरी, 2022**

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 01 कार्य हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-7825बी0जी0/7बी0 ग्रामीण मार्ग/2021-22, दिनांक 23.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत कुल 01 चालू कार्य हेतु उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-8 में अंकित धनराशि के अनुसार अगली किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 110.23 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	31.03.2021 तक आवंटन/ व्यय	01.04.21 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0ख0-1 जालौन	हाइवे ओवर बृज ग्राम कुइया से ग्राम धरगवां होते हुए ग्राम धमनी तक सम्पर्क मार्ग ।	5.30	367.44	183.72	183.72	110.23

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

(3) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(4) प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित 01 कार्य हेतु किसी भी स्थिति में उनकी आवंटित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न की जाय।

(5) आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा प्रश्नगत 01 चालू कार्य के अवशेष कार्य को पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाणपत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/ 2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-02/2022/1553(ए)(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज।

3- मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ।

4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जालौन ।

5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।

7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उरई (जालौन)।

8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-9/10

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-4

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।